



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234816
CG-DL-E-04042022-234816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1507]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944

No. 1507]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

का.आ. 1568(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 89क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित देशों को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए “अधिसूचित देश” के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	देश का नाम
(1)	(2)
1.	कनाडा
2.	यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नार्दर्न आयरलैंड
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना संख्यांक 25/2022/ फा. सं. 370142/7/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन विभाग)